पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 17, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–06

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	55–64	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	83–85	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	33–53	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

06 अक्टूबर, 2020 ई0

संख्या 1103 / XXXI(1) / 2020 / पदो0–03 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रशान्त सिंह को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रशान्त सिंह, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–श्री प्रशान्त सिंह, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 नवम्बर, 2020 ई0

संख्या 1232 / XXXI(1) / 2020 / पदो0–03 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री संजय कुमार को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–श्री संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 05/XXXI(1)/2021/पदो0–03/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री अरविन्द शर्मा

(2) श्रीमती वन्दना असवाल

(3) श्रीमती पूनम जोशी

(4) सुश्री युक्ता मित्तल

2–उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5–उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 मई, 2018 ई0

संख्या 887/XXXI(1)/2018/पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री मनीष प्रकाश अवस्थी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान लेवल–10 (पूर्व वेतनमान रू0 15,600–39,100, ग्रेड वेतन रू0 5400) के दिनांक 31–05–2018 को रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मनीष प्रकाश अवस्थी, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्याः 1997/2013 (एस/एस) धर्मेद्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 146 एस0बी0/2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270 (एस0बी0)/2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 271 (एस0बी0)/2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 272 (एस0बी0) 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 273 (एस0बी0)/2015 धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य, एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0)/2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप **श्री मनीष प्रकाश अवस्थी**, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5—**श्री मनीष प्रकाश अवस्थी** को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—1 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,

सचिव।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

14 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 44/VIII-1/21—70(श्रम)/2001—II—अग्रिम आदेशों तक श्री वरूण कुमार को सप्ताह में लगातार 02 दिन श्रम न्यायालय काशीपुर, ऊधमसिंह नगर की अध्यक्षता करने तथा अन्य 04 दिन औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय हल्द्वानी की अध्यक्षता करने हेतु प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 हरबंस सिंह चुघ,

सचिव।

संस्कृति, धर्मस्व / तीर्थाटन प्रबन्धन तथा धार्मिक मेला अनुभाग

अधिसूचना

20 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 64 / VI / 2020–79(8)2020–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतः, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या:06 वर्ष, 2020) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल के जौंक नगर पंचायत स्थित नजूल पट्टा संख्या–41 / 9, खसरा संख्या–1077 में स्थित 03 नाली भूमि (निर्मित क्षेत्र 1667.00 वर्ग मीटर) में निर्मित कैलाशानन्द ट्रस्ट, की नजूल भूमि जोकि राज्य सरकार में निहित है, को उक्त अधिनियम की अनुसूची "ड़" में निम्नवत् अन्तःस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात;

"5 जनपद पौड़ी गढ़वाल के जौंक नगर पंचायत स्थित नजूल पट्टा संख्या–41 / 9 खसरा संख्या–1077 में स्थित 03 नाली भूमि (निर्मित क्षेत्र 1667.00 वर्ग मीटर) में निर्मित कैलाशानन्द ट्रस्ट।"

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 64/VI/2021-79(8)/2020**, dated January 20, 2021 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2021

No. 64/VI/2021-79(8)/2020--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 44 of the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act, 2019(Act No. 06 of 2020), the Governor is pleased to allow to insertion the Nazool land of the Kailashanand Trust, which is vested in the State Government, constructed in 03 Nali land(Constructed area 1667.00 square meter), situated in Nazool lease no. 41/9, khasra no. 1077 at Jaunk Nagar Panchayat in District Pauri Garhwal, in Schedule 'E' of the said Act as follows namely:

"5. Kailashanand Trust construced in 03 Nali land(constructed area 1667.00 square meter), situated in the nazool lease no. 41/9, khasra no. 1077 at Jaunk Nagar Panchayat in District Pauri Garhwal"

By Order,

DILIP JAWALKER,

Secretary.

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

12 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 29 / XX-1–2021–3(7)2006–एतद्द्वारा प्रांतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी–2 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11, ग्रेड वेतन–रू0 6600) में कार्यरत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी–1, (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12, ग्रेड वेतन रू0 7600) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री प्रकाश चन्द्र की अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी–1 के पद पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नत अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।

3–उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ज्योतिर्मय त्रिपाठी,

अनु सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 487 / XXXI(1) / 2018 / पदो0–03 / 2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान लेवल–10 (पूर्व वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) **श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी,**
(2) **श्रीमती विमला चौहान,**
(3) **श्री गोविन्द सिंह मेहता।**

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्याः 1997 / 2013 (एस / एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 146 एस0बी0 / 2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122 / 2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270 (एस0बी0) / 2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 271 (एस0बी0) / 2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 272 (एस0बी0) 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 273 (एस0बी0) / 2015 धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0) / 2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्न तालिका के कमांक—02 में अंकित अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम—3 में इंगित विभागों/अनुभागों में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:—

क0सं0	कार्मिकों के नाम	तैनाती के विभाग/अनुभाग
1	2	3
1	श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी	गृह अनुभाग—03
2	श्रीमती विमला चौहान	युवा कल्याण अनुभाग
3	श्री गोविन्द सिंह मेहता	प्रोटोकॉल अनुभाग

5— उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 488/XXXI(1)/2018/पदो0—03/2017—उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत **श्री पंकज कुमार मिश्र** को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान लेवल—10 (पूर्व वेतनमान रू0 15,600—39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400) के रिक्त पद पर **दिनांक 31 मार्च, 2018 के उपरान्त** कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप **श्री पंकज कुमार मिश्र**, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3— उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्याः 1997/2013 (एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 146 एस0बी0/2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270 (एस0बी0)/2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 271 (एस0बी0)/2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 272 (एस0बी0) 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 273 (एस0बी0)/2015 धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0)/2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप **श्री पंकज कुमार मिश्र**, अनुभाग अधिकारी को **गृह अनुभाग—08** में तैनात किया जाता है।

5— **श्री पंकज कुमार मिश्र**, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

07 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 32/XXXI(1)/2019/पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री धीरज कुमार

(2) श्री अरूण कुमार सिंह

(3) श्रीमती आशा कण्डपाल

(4) श्री सुनील कुमार राय

(5) श्री बसन्त बल्लभ जोशी

(6) श्री प्रदीप कुमार (दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत चलन क्रिया में)

2–उक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 1997/2013 (एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 146 एस0बी0/2014 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4–उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5–उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

इन्दुधर बौड़ाई,
प्रभारी सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

12 मई, 2020 ई0

संख्या 390/XXXI(1)/2020–पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री प्रदीप डिमरी
(2) श्री जनार्दन प्रसाद नौटियाल
(3) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय
(4) श्री भगवान सिंह
(5) श्री सुनील कुमार लखेड़ा
(6) श्री सन्तोष उप्रेती
(7) श्री राकेश धर द्विवेदी
(8) श्री मनोज कुमार सिंह
(9) श्री पुष्पेन्द्र सिंह पंवार
(10) श्री मयंक सिंह बिष्ट
(11) श्री राजीव नयन पाण्डेय
(12) श्री नागेन्द्र सिंह मटूड़ा
(13) श्री राजीव
(14) श्री अशोक पाण्डेय
(15) श्री धर्मेन्द्र सिंह
(16) श्रीमती राखी भटनागर
(17) डॉ0 अशोक कुमार मिश्र
(18) श्री सुनील गुंसाई
(19) श्रीमती प्रमिला कोठारी

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1355/XXXI(1)/2020/पदो0–03/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री दिशान्त को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिशान्त, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–श्री दिशान्त, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/59–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 17, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

December 21, 2020

No. 270/XIV-a-43/Admin.A/2008--Shri Harish Kumar Goel, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 01.12.2020 to 11.12.2020 with permission to prefix 29.11.2020 to 30.11.2020 as holidays and suffix 12.12.2020 to 13.12.2020 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 271/UHC/Admin.A/2020-Shri G.K. Sharma, Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is transferred and posted as District & Sessions Judge, Pithoragarh, vice Shri Rajendra Joshi.

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 272/UHC/Admin.A/2020-Shri C.P. Bijalwan, Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Bageshwar, vice Shri Dhananjay Chaturvedi.

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 273/UHC/Admin.A/2020-Shri Rajendra Joshi, District & Sessions Judge, Pithoragarh is transferred and posted as District & Sessions Judge, Nainital, vice Shri Rajeev Kumar Khulbey.

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 274/UHC/Admin.A/2020-Shri Nitin Sharma, Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar is repatriated, transferred and posted as Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital, vice Shri G.K. Sharma.

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 275/UHC/Admin.A/2020-Shri Dhananjay Chaturvedi, District & Sessions Judge, Bageshwar is transferred and posted as Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, vice Shri Hira Singh Bonal.

The above orders will come into force with immediate effect.

Note:

(a) Recommendation has been sent to the Government for posting of Shri Hira Singh Bonal, Registrar General, High Court of Uttarakhand as Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, Dehradun.

(b) Recommendation has been sent to the Government for posting of Shri Rajeev Kumar Khulbey, District & Sessions Judge, Nainital, as Member Secretary, State Legal Services Authority, Uttarakhand, Nainital.

(c) Recommendation is being sent to the Government to give additional charge of the Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Dehradun to Smt. Sujata Singh, 1st Additional District Judge, Dehradun, vice Shri C.P. Bijalwan.

(d) Recommendation is being sent to the Government to give additional charge of the Presiding Officer, Labour Court Kashipur, District Udham Singh Nagar to Shri Varun Kumar, Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Haldwani, District Nainital, vice Shri Nitin Sharma.

By Order of the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

January 02, 2021

No. 01/UHC/Admin.A/2021--Smt. Sujata Singh, 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun is conferred with the powers to dispose of the administrative & financial matters of Dehradun judgeship, till further orders.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

January 06, 2021

No. 02/XIV-a-37/Admin.A/2012-Shri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 10.12.2020 to 19.12.2020 with permission to suffix 20.12.2020 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 14, 2021

No. 04/XIV-a/39/Admin.A/2016-Ms. Kalpana, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 11.07.2020 to 06.01.2021 , in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/**XXV**II(7)/2009 dated 24/08/2009, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd /-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/59–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 17, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, कीर्तिनगर

जनपद–टिहरी गढ़वाल

18 दिसम्बर, 2019 ई0

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि–2019

पत्रांक 1038/उपविधि/2019–20–नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 298 (2) शीर्षक (ई) उपखण्ड "बी" के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन, नगर पंचायत, इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनायी गयी है। जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेगी। वाद–विवाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा। यह उपविधि गजट में प्रकाशन हेतु भेजे जाने की तिथि से लागू होगी इन उपविधियों के लागू होते ही पूर्व में लागू उपविधियां स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।

1– परिभाषा:

(1) यह उपविधि नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि 2019 कहलायेगी।

(2) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल से है।

(3) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों से है।

(4) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम– 1916 (यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0–2, 1916 तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है– से है।

(5) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक जैसी भी स्थिति हो से है।

(6) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल से है।

(7) "पंजीकरण" का तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/ फर्म से है जो नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में समस्त निर्माण कार्य, सड़क/नाली निर्माण, पुर्ननिर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अर्न्तगत आते हों, को करने का इच्छुक है।

(9) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (ABCD) श्रेणी से है।

1– पंजीकरण की प्रक्रिया:

नगर पंचायत/ पालिका परिषद् के सड़क/नाली, पुस्ता एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की चार श्रेणीयां होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा, जपनद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो व जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह की अवधि के अन्दर का हो देने अनिवार्य होगें।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है):

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए	–	40.00 लाख
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए	–	25.00 लाख
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए	–	15.00 लाख
(घ)	चतुर्थ श्रेणी के लिए	–	8.00 लाख

(3) **प्रथम श्रेणी**– प्रथम श्रेणी के पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/ नाली एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगें। इसके अतिरिक्त स्वयं की तकनीकी अभियन्ता एवं टी0 एण्ड पी0 मिक्सचर मशीन एवं बाईवरेटर) आदि होने आवश्यक होगें। (अनुभव प्रमाण पत्र– अधिशासी अभियन्ता/ अधिशासी अधिकारी/ अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।

(4) **द्वितीय श्रेणी**– द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगें। (अनुभव प्रमाण पत्र– अधिशासी अभियन्ता/ अधिशासी अधिकारी/ अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।

(5) **तृतीय श्रेणी**– तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/ भारत सरकार के किसी भी विभाग मे कम से कम 03 वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

(6) **चतुर्थ श्रेणी**– चतुर्थ श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/ भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा तथा पंजीकरण नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

3– पंजीकरण की अवधि:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 30 जून तक ही ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेगें। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप को 200.00 पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत शुल्क जमा किया जायेगा पंजीकरण की वैधता 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

4– जमानतें:

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना पत्र के साथ देनी होगी–

(अ)	प्रथम श्रेणी के लिए	–	50,000.00
(ब)	द्वितीय श्रेणी के लिए	–	30,000.00
(स)	तृतीय श्रेणी के लिए	–	20,000.00
(द)	चतुर्थ श्रेणी के लिए	–	15,000.00

5— पंजीकरण शुल्कः

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा—

(अ)	प्रथम श्रेणी के लिए	—	20,000.00
(ब)	द्वितीय श्रेणी के लिए	—	18,000.00
(स)	तृतीय श्रेणी के लिए	—	12,000.00
(द)	चतुर्थ श्रेणी के लिए	—	10,000.00

6— नवीनीकरणः

(1) अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के कारण पंजीकरण/ नवीनीकरण से रोका जा सकता है अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिसका मूल्य रू0. 200.00 होगा नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष किये गये कार्यो का विवरण देना होगा। ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार नवीनीकरण शुल्क नगद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा—

(अ)	प्रथम श्रेणी के लिए	—	12,000.00
(ब)	द्वितीय श्रेणी के लिए	—	10,000.00
(स)	तृतीय श्रेणी के लिए	—	8,000.00
(द)	चतुर्थ श्रेणी के लिए	—	5,000.00

7— निर्माण के सम्पादन की सीमाः

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा—

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रू0. 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रू0. 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(4) चतुर्थ श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रू0. 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

8— निविदा प्रपत्र का मूल्यः

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा—

क्र.स.	कार्य की लागत	निविदा मूल्य
1.	रू0. 50,000.00 तक	200/—
2.	रू0. 1.00 लाख से 5.00 लाख तक	500/—
3.	रू0. 5.00 लाख से 10.00 लाख तक	1,000/—
4.	रू0. 10.00 लाख से 20.00 लाख तक	1,500/—
5.	रू0. 20.00 लाख से 30.00 लाख तक	2,000/—
6.	रू0. 30.00 लाख से 40.00 लाख तक	2,500/—
7.	रू0. 40.00 लाख से 50.00 लाख तक	3,000/—
8.	रू0. 50.00 लाख से 70.00 लाख तक	4,000/—

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यो का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य (वैट सहित) देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

9— निविदा स्वीकार करने का अधिकारः

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम् निविदाओं में न्यूनतम् निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक जैसी भी स्थिति हो को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती है। निविदा डालने के 06 माह बाद तक ठेकेदार उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

10— धरोहर राशिः

निविदायें डालने समय 03 प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को प्रतिभूति के रूप में जमा करनी आवश्यक है और यह प्रतिभूति अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यो में जमा प्रतिभूति के रूप में मान्य नही किया जायेगा, जब तक कि उन्हे अवमुक्त नही किया गया हो।

11— ठेकेदार का भुगतानः

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर, रॉयल्टी एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त कक्ष सभासद के कार्य सन्तोषजनक प्रमाण पत्र पर भुगतान किया जा सकेगा। जमानत राशि का भुगतान 01 वर्ष के बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

12— कार्य पूर्ण करने की अवधिः

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गई कार्य अवधि व अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया हो तो अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नही किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली– 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नही हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू– राजस्व के बकाये की भांति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामे में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

13— पंजीकरण निरस्तीकरणः

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नही करता है या कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अधियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को किसी भी समय निरस्त कर ठेकेदार को काली सूची में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत ठेकेदार के विरूद्ध जांच में जमा किया गया कोई भी अभिलेख, अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज यदि फर्जी पाये जाते है तो सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर किये जाने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करवा दी जायेगी। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार को ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

14— जमानत जब्त करने का अधिकारः

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध पत्र का उल्लघंन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त करने, ठेकेदार को काली सूची में सम्मिलित कर ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू– राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

यह उप– नियमावली नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के मा0 नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक 08.07.2019 में प्रस्ताव संख्या– 74 के द्वारा पारित की गयी।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय नगर पंचायत, कीर्तिनगर

जनपद–टिहरी गढ़वाल

18 दिसम्बर, 2019 ई0

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019

प्रस्तावित उपविधि

पत्रांक 1039 / उपविधि / 2019–20–उत्तराखण्ड (नगर पालिका अधिनियम 1916) (अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश–2002) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश–2007 की धारा 298 "झ" एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 166 की धारा 3, 6 एवं 25 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 15(ण) तथा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना तथा थूकना अधिनियम 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अपने सीमान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019 बनायी गयी है। पालिका क्षेत्राधिकार में निकाय बोर्ड बैठक दिनांक 08.07.2019 में प्रस्ताव सं0–74 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित सुझाव एवं आपत्ति अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर को की जा सकेगी, बाद मियाद प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ठोस कचरा प्रबन्धन उपविधि– 2019

अध्याय–1
सामान्य

1– **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :**

(1) यह उपविधि नगर **पंचायत कीर्तिनगर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि– 2019 कहलायेगी।**

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2014 (संसोधित) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 सरकारी गजट उत्तराखण्ड दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उपविधि **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप विधि, 2019 नगर पंचायत कीर्तिनगर 2019** लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2– यह उपविधि नगर पंचायत कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3– **परिभाषाएं:**

(1) जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:–

(क) **"बल्क उधान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उधानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन"** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू. एम. नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पंचायत का महापौर अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत कीर्तिनगर के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)"** का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ हैं, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पंचायत कीर्तिनगर के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्त्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट"** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4– ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहणः

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संग्रहित करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय–समय पर जारी नगर पंचायत कीर्तिनगर के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेंगा।

(ii) प्रत्येक ठोस अपशिष्ट/बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संग्रहित करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः–

हराः– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः– घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत कीर्तिनगर के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्त्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत कीर्तिनगर की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को

अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेंगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत कीर्तिनगर के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौंपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्त्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत कीर्तिनगर को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग–अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉण्ड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत कीर्तिनगर के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत कीर्तिनगर या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय–समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5– **ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–**

(i) नगर पंचायत कीर्तिनगर के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत कीतिनगर संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत कीर्तिनगर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड (पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त

होगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत कीर्तिनगर अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्री व्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्री व्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्री व्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत कीर्तिनगर या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6– द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा चिन्हित अलग–अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः–

(क) **हराः** जैव अपघटीय कचरे के लिए

(ग) **नीलाः** गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए

(घ) **कालाः** घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत कीर्तिनगर समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पंचायत कीर्तिनगर स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत कीर्तिनगर या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग–अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत कीर्तिनगर या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत कीर्तिनगर अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो/नगर पंचायत कीर्तिनगर से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट/अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट/अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्रः

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत कीर्तिनगर अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7– **ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–**

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली–भांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) **निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।**

(vii) नगर पंचायत कीर्तिनगर कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiii) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xiv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xv) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर–घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvi) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उंतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xvii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द–गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xviii) नगर पंचायत कीर्तिनगर अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8– ठोस कचरे की प्रोसेसिंगः–

(i) नगर पंचायत कीर्तिनगर ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योयिगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्याम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत कीर्तिनगर रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत कीर्तिनगर सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9– ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(i) नगर पंचायत कीर्तिनगर सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत कीर्तिनगर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत कीर्तिनगर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पंचायत कीर्तिनगर कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10– **ठोस कचरे का निपटानः**

नगर पंचायत कीर्तिनगर अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11– **ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–**

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत कीर्तिनगर इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत कीर्तिनगर ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12– **एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंडः–**

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर चौकी, थाना प्रभारी तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13– **कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–**

(i) **कूडा फेकने पर पाबंदीः**

(क) **किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलानाः** अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) **किसी संपत्ति पर कूडा फैलानाः** अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) **वाहनों से कूडा फेकनाः** किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालनाः** कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) **स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगीः** कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ़ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) **नालियों आदि में कचरे का निपटानः** कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलानाः सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र": प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत कीर्तिनगर से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत कीर्तिनगर के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत कीर्तिनगर निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पंचायत कीर्तिनगर किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत कीर्तिनगर निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत कीर्तिनगर के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत कीर्तिनगर इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक

किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14— **नगर पंचायत के दायित्वः**

(i) नगर पंचायत कीर्तिनगर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू–भाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत कीर्तिनगर सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों।

(ii) नगर पंचायत कीर्तिनगर अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत कीर्तिनगर विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत कीर्तिनगर जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत कीर्तिनगर अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरों अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत कीर्तिनगर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कीर्तिनगर कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पंचायत कीर्तिनगर स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पंचायत कीर्तिनगर ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत कीर्तिनगर यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कीर्तिनगर कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत कीर्तिनगर को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांचः महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पंचायत कीर्तिनगर अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत कीर्तिनगर एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुंचः अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐं प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पंचायत कीर्तिनगर एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15– इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर पंचायत कीर्तिनगर के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16– सरकारी निकायों के साथ समन्वयः नगर पंचायत कीर्तिनगर अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17– सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल. कार्ड धारक)	रु 10.00
2.	कम आय/मध्यम आय वाले घर	रु 50.00
3.	सब्जी एवं फ़ल विक्रेता	रु 100.00
4.	थोक मण्डी वाले विक्रेता	रु 300.00
5.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम रु 300.00
6.	रेस्टोरेन्ट/टी स्टाल/ढाबा	रु 300.00
7.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	रु 200.00 प्रतिमाह 20 बैड तक रु 350.00 प्रतिमाह 21–40 बैड तक रु 500.00 प्रतिमाह 41–50 से उससे अधिक बैड तक
8.	धर्मशाला	निशुल्क
9.	बरातघर (चेरिटेबिल)	रु 2000.00 प्रति शादी/उत्सव/समारोह
10.	बेकरी	रु 200.00
11.	कार्यालय/बैंक (सरकारी एवं गैर सरकारी)	रु 100.00
12.	संस्थाएं (आवासीय)	पंचायत एवं संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
13.	संस्थाएं (अनावासीय)	पंचायत एवं संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रु 500.00
15.	क्लीनिक/पैथोलोजी	रु 300.00
16.	दुकान/चाय की दुकान	रु 300.00
17.	फैक्ट्री	पंचायत एवं संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
18.	वर्कशॉप	रु 300.00 छोटी वर्कशॉप रु 500.00 बडी वर्कशॉप
19.	कबाडी	रु 200.00 छोटा दुकान का कबाडी रु 300.00 बडी दुकान का कबाडी
20.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता/फड़ व ठेली	रु 20.00 प्रतिदिन ठेली/फड़
21.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 500.00 प्रतिदिन होटल रु 700.00 प्रतिदिन वैडिंग प्वांइन्ट
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रु 200.00 प्रतिदिन 0.50 घन मी0 तक रु 200.00 प्रतिदिन 1.0 घन मी0 तक
23.	सिनेमा हॉल	रु 500.00 प्रतिमाह
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	पंचायत एवं संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
25.	वाईन शॉप	रु 500.00
26.	जनरल स्टोर (किराना दुकान)	रु 100.00

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची--2

जुर्माना / दंड

क्र. सं.	नियम / उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	200.00 500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	500.00
			मछली,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक / गली में 1.कूडा फैकना,थूकना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2.नहाना, पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना		500.00
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	500.00
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000.00
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	5000.00
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000.00
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000.00
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते / अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

क्र. सं.	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता		
			निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए.	10,000.00
			बजार एसोसिएशन, संघ	20,000.00
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000.00
			संस्थान	20,000.00
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000.00
			रेस्टोरेंट	20,000.00
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	1,00,000.00
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कंपनियां	50,000.00
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000.00
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	1000.00
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/ अतिथिग्रह स्वामी	1000.00
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों,सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000.00

वासुदेव डंगवाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

कैलाशी देवी जाखी,
अध्यक्षा,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/59-भाग 8-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।